# लोक शिक्षण संचालनालय
# छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष कमांक 0771.2331385 फैक्स कमांक 0771.2445215, ईमेल– cg.dpi.dir@gmail.com)


क्रमांक/विद्या/केन्द्रीकृत परीक्षा/2025–26/77 नवा रायपुर, दिनांक 20/ 01/2026

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषयः– 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत वार्षिक परीक्षा सत्र 2025–26 का आयोजन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश।

संदर्भः– छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 6–26/2024/20–एक (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 03.12.2024

–00–

सत्र 2025–26 में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा संचालन हेतु दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :–

1. जिले में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीय परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालयवार नामिनल रोल तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नामिनल रोल की सहायता से प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नम्बर विद्यालयवार आबंटित कर 28 फरवरी 2026 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराएंगे।
3. जिला स्तर पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में **"जिला स्तरीय संचालन समिति"** का गठन निम्नानुसार रहेगा :–

| | |
|---|---|
| 1. जिला शिक्षा अधिकारी | – अध्यक्ष |
| 2. डाईट प्राचार्य | – सदस्य |
| 3. सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी | – सदस्य सचिव |
| 4. जिला मिशन समन्वयक | – सदस्य |
| 5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी | – सदस्य |
| 6. प्राचार्य, हायर सेकेंडरी विद्यालय | – सदस्य |
| 7. प्रधान पाठक, शास.पूर्व माध्यमिक विद्यालय | – सदस्य |
| 8. प्रधान पाठक, शास. प्राथमिक विद्यालय | – सदस्य |
| 9. संकुल समन्वयक | – सदस्य |



Scanned with OKEN Scanner

4. कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
5. सी.बी.एस.ई. एवं आई.सी.एस.ई. से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे।
6. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा परीक्षा हेतु समय सारिणी जारी की जा रही है। सभी जिलों में जारी समय सारिणी अनुसार परीक्षा संचालित की जाएगी।
7. कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी गतवर्ष ब्लूप्रिंट के आधार पर किया जावें।
8. परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु सेम्पल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र–छात्राओं को अभ्यास कराया जावे।
9. कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा के संचालन हेतु क्रमशः 55=00 रूपये एवं 60=00 रूपये प्रति छात्र की दर निर्धारित किया गया है तद्नुसार का व्यय किया जावें। इस राशि से शासकीय विद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों की परीक्षा संचालित की जावे।
10. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धता प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) द्वारा कक्षा 5वीं के लिए राशि 55/– रूपये और कक्षा 8वीं के लिए राशि 60/– रूपये प्रति छात्र शुल्क जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जावे। इस संबंध समुचित निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अशासकीय विद्यालयों को दिया जावे।

**<u>परीक्षा एवं मूल्यांकन केन्द्र व्यय</u> –**

**<u>कक्षा 5वीं हेतु</u>** – परीक्षा केन्द्र एवं मूल्यांकन केन्द्र पर स्टेशनरी एवं अन्य सामाग्री जैसे:– चपड़ा, मोमबत्ती, सुतली, ब्राउन पेपर आदि पर व्यय प्रति परीक्षार्थी 2/– रूपये की दर से किया जावे।

**<u>कक्षा 8वीं हेतु</u>** – परीक्षा केन्द्र एवं मूल्यांकन केन्द्र पर स्टेशनरी एवं अन्य सामाग्री जैसे:– चपड़ा, मोमबत्ती, सुतली, ब्राउन पेपर आदि पर व्यय प्रति परीक्षार्थी 3/– रूपये की दर से किया जावे।

**<u>पारिश्रमिक व्यय</u> –**

पारिश्रमिक व्यय निम्नानुसार देय होगा :–

(i) <u>मूल्यांकनकर्ता</u> – कक्षा 5वीं – 2/– रूपये प्रति उत्तर पुस्तिका
कक्षा 8वीं – 3/– रूपये प्रति उत्तर पुस्तिका

(ii) <u>मुख्य मूल्यांकनकर्ता</u> – 100/– रूपये प्रतिदिन

(iii) <u>मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष</u> – 150/– रूपये प्रतिदिन



Scanned with OKEN Scanner

**प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया –**

11. कक्षा 5वीं में कुल अंक 50 होंगे, जिसमें 40 अंक लिखित परीक्षा एवं 10 अंक प्रायोजना कार्य के होंगे। कक्षा 8वीं में कुल अंक 100 होंगे, जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा एवं 20 अंक प्रायोजना कार्य के होंगे।
12. जिला स्तरीय संचालन समिति के अनुमोदन से प्रश्न पत्र निर्माण हेतु समिति का गठन किया जाये, जिसमें विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाये। समिति संलग्नक–B अनुसार जारी ब्लूप्रिंट अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए विषयवार हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम प्रश्न पत्रों के तीन सेट तैयार करेगी एवं इसे सीलबन्द लिफाफे में जिला शिक्षा अधिकारी को सौपेंगी।
13. प्रश्न पत्र निर्माण समिति से प्राप्त प्रश्न पत्रों के मॉडरेशन हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा मॉडरेशन समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति मॉडरेशन के पश्चात् प्रत्येक विषय के तीन सेट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम फाइनल कर जिला स्तरीय संचालन समिति को सौंपेगी, जिसमें से एक प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय संचालन समिति के अनुशंसा पर मुद्रण हेतु भेजा जायेगा।
14. समिति में उन्हें सदस्य ना बनाया जाए जिनके रिश्तेदार अथवा उनके बच्चे 5वीं/8वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण पूर्ण गोपनीयता से किया जावे। गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जाँच की जावेगी। शिकायत सही पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं आवश्यकतानुसार विधि सम्मत कार्यवाही भी की जावेगी।
15. कक्षा 5वीं में 5–5 अंक (कुल 10 अंक) के 02 प्रायोजना कार्य एवं कक्षा 8वीं में 10–10 अंक (कुल 20 अंक) के 02 प्रायोजना कार्य परीक्षा पूर्व दिए जाए। प्रायोजना कार्य 28 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जावे तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों की सूची तैयार कर 05 मार्च तक सीलबन्द लिफाफे में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाए।
16. संस्कृत विद्यामण्डलम से संबंधित अशासकीय विद्यालयों में 5वीं एवं 8वीं के विषय पृथक रहते हैं, इसी तरह मदरसा बोर्ड में भी कुछ विषय पृथक रहते हैं। इन विषयों के प्रश्न पत्र छ.ग.मदरसा बोर्ड तथा छ.ग.संस्कृत विद्यामण्डलम द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि इन विषयों से संबंधित छात्रों के लिए प्रश्न पत्र, छात्र संख्या, परीक्षा केन्द्र एवं अन्य जानकारियां इन संस्थाओं से सम्पर्क कर प्राप्त करें।
17. मदरसा बोर्ड की कक्षा 5वीं परीक्षा में उर्दू को 5वें विषय के रूप में शामिल किया जाये, और इस हेतु पृथक से तिथि निर्धारित की जाये। संस्कृत विद्यामण्डलम से संबंधित विद्यालयों हेतु कक्षा 5वीं के लिए संस्कृत एवं हिन्दी–अंग्रेजी का संयुक्त प्रश्न पत्र (कुल दो प्रश्न पत्र) तथा कक्षा 8वीं के लिए व्याकरण एवं साहित्यम, व्यावसायिक संस्कृत तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी का संयुक्त प्रश्न पत्र (कुल तीन प्रश्न पत्र) प्राप्त करें।



Scanned with OKEN Scanner

## परीक्षा संचालन –

18. परीक्षा अवधि में परीक्षा की सतत् निगरानी हेतु संकुल, विकासखंड एवं जिला स्तरीय उड़नदस्ता बनाया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल समन्वयक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से कम से कम 03 परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे।
19. परीक्षाओं हेतु समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्र होंगे। केन्द्राध्यक्ष निकटतम अन्य विद्यालय के प्रधान पाठक/प्रभारी प्रधान पाठक/वरिष्ठ शिक्षक को नियुक्त किया जाए। केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जाएगा।
20. समस्त संकुल केन्द्र प्रश्न पत्र वितरण केन्द्र होंगे। संकुल प्राचार्य इसके प्रभारी होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त संकुल प्राचार्यों को उनके संकुल के अधीन परीक्षा केन्द्रों के प्रश्न पत्र सौपें जाएंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रश्न पत्रों को सीलबंद पेटी में निकवर्ती थाना में रखा जाएगा तथा परीक्षा तिथि में थाने से प्रश्न पत्र प्राप्त कर केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा आरम्भ होने के एक घण्टा पूर्व प्रश्न पत्र सौंपा जायेगा।
21. केन्द्राध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि सीलबन्द प्रश्न पत्र निकालते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रश्न पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि एवं विषय तथा माध्यम का ही है, प्रश्न पत्र पैकेट से प्रश्न पत्र को आधा निकालकर इसे सुनिश्चित करें। यदि प्रश्न पत्र किसी अन्य दिवस का है तो केन्द्राध्यक्ष लिफाफे को सीलबन्द कर तत्काल विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे तथा पैकेट सीलबंद कर थाना में जमा करेंगे। ऐसी स्थिति में निकट के परीक्षा केन्द्र से आवश्यकतानुसार उस तिथि का प्रश्न पत्र प्राप्त कर फोटोकॉपी कराकर परीक्षा सम्पन्न करायेंगे।
22. परीक्षा उपरान्त उसी दिन केन्द्राध्यक्ष द्वारा सीलबंद उत्तर पुस्तिकाओं को संकुल प्राचार्य के पास जमा किया जाएगा तथा संकुल प्राचार्य द्वारा सीलबन्द उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट को विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास परीक्षा तिथि के दिन शाम 05:00 बजे तक अनिवार्यतः जमा करेंगे।
23. किसी भी विद्यार्थी को किसी भी स्थिति में परीक्षा से वंचित ना किया जाए।
24. बैठक व्यवस्था में विद्यार्थियों की बीच पर्याप्त दूरी रखी जाये।

## उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन –

25. जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा मूल्यांकन केन्द्र का निर्धारण एवं मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर जिला समिति द्वारा किया जाएगा।
26. जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा पर मूल्यांकन केन्द्रों को मूल्यांकन हेतु भेजी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का निर्धारण गोपनीय तरीके से किया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र का रोस्टर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बनाकर देंगे। उत्तर पुस्तिकाओं को पूर्ण गोपनीयता के साथ मूल्यांकन केन्द्रों को भेजने की जिम्मेदारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की होगी।



Scanned with OKEN Scanner

27. मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष संकुल प्राचार्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इसकी पूर्व तैयारी सुनिश्चित करेंगे। एक विकासखण्ड की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अन्य विकासखण्ड में केन्द्रीकृत रूप से किया जाएगा। रोस्टर जिला स्तरीय संचालन समिति तैयार करेगी।

28. कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही संबंधित कक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाए।

29. 30 मार्च से कक्षा 5वीं एवं 4 अप्रैल से कक्षा 8वीं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाए।

30. कक्षा 5वीं एवं 8वीं में वार्षिक परीक्षा में छःमाही परीक्षा में प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का 30 प्रतिशत अधिभार के रूप में जोडा जायेगा (अर्थात छःमाही का 30 प्रतिशत एवं वार्षिक का 70 प्रतिशत मिलाकर परीक्षाफल तैयार किये जायेंगे)।

31. मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम प्रतिदिवस 40 उत्तर पुस्तिकाएं ही मूल्यांकन हेतु दी जाए, जिससे मूल्यांकन गुणवत्तापूर्ण हो सके।

32. प्रत्येक विषय के लिए 1–1 शिक्षक को मुख्य (हेड) मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाए। मूख्य मूल्यांकनकर्ता अपने अधीन मूल्यांकनकर्ता की 5 % उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे, इससे मूल्यांकन की विश्वसनीयता बनी रहेगी। मुख्य मूल्यांकनकर्ताओं का दायित्व होगा कि मूल्यांकनकर्ताओ से मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं एवं अंक तालिका जिसमें मूल्यांकनकर्ता एवं मुख्य मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, उसी दिन मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष को सौंपेगे, जिसकी प्रविष्टि केन्द्राध्यक्ष द्वारा नॉमिनल रोल में कराई जाएगी।

33. मूल्यांकन में हुई त्रुटि के लिए संबंधित शिक्षक की जवाबदेही एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति अधिकृत होगी।

34. मूल्यांकन कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाए तथा अंकसूची विद्यालयवार 25 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाए। 28 अप्रैल तक अंकसूचियां विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयों में भेजी जाए। 30 अप्रैल को संस्था प्रमुख परीक्षा परिणाम घोषित कर अंकसूची वितरण का कार्य करेंगे।

35. जिला स्तर पर परीक्षाफल पंजी का संधारण किया जाएगा। चूंकि यह स्थायी अभिलेख है अतः इसका संधारण गंभीरता के साथ किया जाए एवं सुरक्षित रखा जाए।

36. मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः सीलबन्द पैकेट बनाकर विकासखंडों में 03 माह तक सुरक्षित रखा जावे। इसका दायित्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी का होगा।

37. मूल्यांकन केन्द्र संकुल विद्यालयों को ही बनाया जायेगा, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी केन्द्रों की संख्या का निर्धारण अपनी आवश्यकतानुसार करेंगे।

38. प्रश्न पत्रों की पेटी पुलिस थाना या पुलिस चौकी में ही रखे जायें।

39. इग्नाईट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पृथक से प्रश्न पत्र सेट करेंगे, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम होता है। इन विद्यालयों की समय सारिणी जिला शिक्षा अधिकारी राज्य की समय सारिणी के अनुसार ही जारी करेंगे।

40. अगर विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जायेगा।



Scanned with OKEN Scanner

41. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की परीक्षा भी 5वीं, 8वीं हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही जिले द्वारा अन्य अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु मुद्रित प्रश्न पत्र से ही की जायेगी।

42. परीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु आवश्यक सभी प्रपत्रों का प्रारूप तथा अंक सूची का प्रारूप गत् वर्षानुसार ही रहेगा।

43. जिन विद्यालयों में परीक्षार्थियों की संख्या कम है उन्हें भी परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है।

44. विद्यार्थियों को रोल नं. आबंटन, संकुल केन्द्र का निर्धारण एवं केन्द्राध्यक्ष के नियुक्ति का कार्य शीघ्र कर लेवें।

45. प्रायोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर 25.02.2026 तक ली जाये। प्रायोजना कार्य की सीलबंद अंक तालिका (बच्चों के नाम एवं रोल नं. सहित) संकुल प्राचार्यों के माध्यम से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 27.02.2026 को जमा करेंगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालयवार अपने विकासखण्ड की प्रायोजना कार्य की सीलबंद अंकसूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के परीक्षा कक्ष में जमा करेंगे।

46. 5वीं एवं 8वीं का पाठ्यक्रम 14.02.2026 तक पूर्ण कर लेवें। विषय विशेषज्ञों की सहायता से संकुल समन्वयकों, प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों को ब्लू प्रिंट का प्रशिक्षण 21.02.2026 तक पूर्ण करा लिया जाये तथा 25.02.2026 तक 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों को ब्लूप्रिंट लिखवा दिया जाये।

47. दिनांक 27.02.2026 से 14.03.2026 सेम्पल प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराया जाये।

<u>पूरक परीक्षा का आयोजन</u> –

48. वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। विषय शिक्षक अनुत्तीर्ण विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेकर तैयारी कराएंगे। इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व से ही समुचित कार्ययोजना तैयार करेंगे।

49. पूरक परीक्षा का आयोजन 01 जून 2026 से किया जावे।

50. यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे भी कक्षोन्नति देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए।

**संलग्नः– परीक्षा समय सारिणी।**

**संचालक**
**लोक शिक्षण संचालनालय**
**छत्तीसगढ़**



Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–अ

## कक्षा 5वीं एवं 8वीं केन्द्रीकृत परीक्षा 2026
## समय–सारणी

कक्षा 5वीं –

| विषय | परीक्षा तिथि एवं दिन | समय |
|---|---|---|
| गणित | 16.03.2026 (सोमवार) | प्रातः 9.00 से 11.00बजे तक |
| अंग्रेजी | 19.03.2026 (गुरूवार) | |
| हिन्दी | 23.03.2026 (सोमवार) | |
| पर्यावरण | 25.03.2026 (बुधवार) | |

कक्षा 8वीं –

| विषय | परीक्षा तिथि एवं दिन | समय |
|---|---|---|
| गणित | 17.03.2026 (मंगलवार) | प्रातः 9.00 से 12.00 बजे तक |
| हिन्दी | 20.03.2026 (शुक्रवार) | |
| अंग्रेजी | 24.03.2026 (मंगलवार) | |
| सामाजिक विज्ञान | 30.03.2026 (सोमवार) | |
| विज्ञान | 0.04.2026 (गुरूवार) | |
| संस्कृत/उर्दू | 06.04.2026 (सोमवार) | |

टीपः–संस्कृत विद्यामण्डलम एवं मदरसा बोर्ड के उपरोक्त विषय से पृथम प्रश्न पत्रों के लिए समय–सारणी का समावेश इसी समय सारिणी में करें। जिला शिक्षा अधिकारी सचिव छ.ग. संस्कृत विद्या मंडलम एवं सचिव, छ.ग.मदरसा बोर्ड से समय–सारणी की विषय की जानकारी प्राप्त करें।

उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़



Scanned with OKEN Scanner